न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टी.ए. / 6951 / 2006 / जालोर

1. भंवर सिंह पुत्र श्रीत आनन्द सिंह
2. सुरेन्द्रपाल सिं पुत्र श्री भंवर सिंह
3. अर्जुन सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार।
2. प्रशासक ग्राम पंचायत रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित :
श्री योगेन्द्र सिंह : अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री वी. पी. सिंह : राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

——

दिनांक : 17 / 9 / 2018

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर द्वारा अपील संख्या 96 / 2004 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 / 11 / 2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण / वादीगण ने रेस्पोडेन्ट्स / प्रतिवादीगण के विरूद्ध उप खण्ड अधिकारी, भीनमाल के

न्यायालय में एक नियमित वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ग्राम रानीवाड़ा स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 869 रकबा 0.02 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 871 रकबा 0.11 हैक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत किया, जाकर निवेदन किया कि वादीगण का खेत खसरा नम्बर 898 रकबा 1.33 हैक्टेयर स्थित ग्राम रानीवाड़ा खुर्द खातेदारी का स्थित है जिस पर कब्जा काश्त वादीगण का चला आ रहा है तथा उसके लगते खसरा नम्बर 871 रकबा 0.11 हैक्टेयर किस्म बी प्रथम व 869 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता स्थित है जिस पर कब्जा काश्त वादीगण का अर्से दराज से चला आ रहा है। खसरा नम्बर 869 कभी भी मौके पर गैर मुमकिन रास्ता नहीं रहा है। उपरोक्त तीनों खसरा नम्बरान पर वादीगण का अर्से दराज से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु सेटलमेन्ट अमीनों एवं सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों की गलती के कारण खसरा नम्बर 869 एवं 871 की भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज नहीं की जाकर राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। अतः वादीगण/अपीलार्थीगण को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद किया जावे। विचारण न्यायालय ने उभय पक्ष की सुनवाई के बाद अपने निर्णय दिनांक 23/6/1997 द्वारा वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23/6/1997 के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही के न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 6/12/2000 को मियाद बाहर मानते हुए मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दी। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 6/12/2000 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसे माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 23/10/2002 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण अपीलीय न्यायालय को कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया। तत्पश्चात अपीलीय न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई अपीलार्थीगण की अपील अपने निर्णय दिनांक 16/11/2005 से खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस प्रस्तुत अपील को विचारार्थ ग्रहण किये जाने पर सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीया ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उनका कथन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 871 एवं 869 पर वादी अपीलार्थी का लम्बे समय से कब्जा काश्त है लेकिन भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलती से उक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज नहीं की गई। विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि की रिपोर्ट

जरिये कमिश्नर प्राप्त की थी जिससे भी विवादित भूमि पर हमारा कब्जा सिद्ध होता है। लेकिन दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इसे नजरअन्दाज कर दिया। उनका तर्क है कि खसरा नम्बर 869 मौके पर कभी भी गैर मुमकिन रास्ता नहीं रहा एवं इस संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ने इकबाली जवाब दावा भी प्रस्तुत किया था। ऐसी स्थिति में आदेश 8 नियम 5, आदेश 12 नियम 6 व आदेश 15 नियम 1 सी.पी.सी. के तहत वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य था। उन्होंने निवेदन किया कि इस विवादित भूमि पर 50 वर्षों से अधिक समय से हमारा कब्जा काश्त है एवं ऐसी स्थिति में हम प्रतिकूल कब्जे के आधार पर विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है। परन्तु दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस संबंध में कोई फाईण्डिंग नहीं देते हुए हमारे वाद एवं अपील को खारिज किये जाने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। अतः विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय अपील को विचारार्थ ग्रहण कर स्वीकार करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालेर द्वारा दिनांक 16/11/2005 एवं उप खण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा दिनांक 23/6/1997 को पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत तर्को का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया गया कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विस्तृत विवेचन के पश्चात विधिसम्मत निर्णय पारित किये हैं। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री में ऐसी कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गई है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप अपेक्षित हो। द्वितीय अपील का क्षेत्र सीमित होता है और केवल विधि के प्रश्न को द्वितीय अपील में उठाया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में 2011 आर.आर.डी. पेज 508 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उप खण्ड अधिकारी, भीनमाल के न्यायालय में अपीलार्थीगण/वादीगण भंवर सिह वगैरह द्वारा विवादित भूमि के संबंध में एक नियमित वाद रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया गया था, जिसे विचारण

न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई करते हुए दिनांक 23/6/1997 को खारिज किया गया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वादी ने सेटलमेन्ट से पहले विवादित भूमि के संबंध में कोई भी दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया जिससे इस बात की पुष्टि हों सके कि वास्तव में सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान गलत तरीके से उक्त आराजी वादी के नाम से हटा दी गई हो। उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा अपने वाद में जो भी बिन्दु उठाये गये है, उन्हें साबित करने का दायित्व स्वयं वादीगण का ही था, जिसे वह साबित करने में असमर्थ रहे हैं। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील को अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16/11/2005 को यह मानते हुए कि विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता है तथा वादीगण अपने वाद/अपील को सिद्ध नहीं कर पाये है, को खारिज कर दी गई।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद को डिक्री करने हेतु प्रार्थना की गई है। इस संबंध में विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त से हम पूर्णतया सहमत है जिसमें सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये निर्णयों के अवलोकन के आधार पर इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों पर स्पष्ट विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए समवर्ती निर्णय पारित किये गये हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 869 एवं 871 वर्तमान रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है तथा अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अपने वाद या अपील के समर्थन में प्रस्तुत नहीं कर सके है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि सेटलमेन्ट विभाग ने भूलवश उक्त खसरा नम्बरान की भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज नहीं की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में क्षेत्राधिकार संबंधी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील सारहीन पायी जाती है।

परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण विचारार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर ही एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष